जनसत्ता

1 अगस्त, 2019

आजादी का दायरा

आखिर तीन तलाक निषेध विधेयक पर संसद की मुहर लग गई। इसे लेकर विपक्षी दलों ने विरोध में कई तर्क दिए, पर संसद सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में था। प्रधानमंत्री ने इस कानून को मुसलिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इससे मुसलिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का हक मिल सकेगा। दरअसल, पिछले साल जब अनेक मामलों में देखा गया कि कुछ पुरुषों ने जुबानी या फिर मोबाइल फोन संदेश के जरिए तीन बार तलाक बोल कर अपनी पत्नी से छुटकारा पा लिया और फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ जाते हैं, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी गंभीर चिंता जताई थी। तभी केंद्र सरकार ने इस मामले में सख्त कानून की रूपरेखा तैयार की, पर उसके कुछ पक्षों पर कई लोगों को एतराज था। इस कानून में मनमाने ढंग से तलाक देने वालों को तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। तलाकशुदा महिलाओं के भरण-पोषण का खर्च अब अदालतें तय करेंगी। इस पर कुछ मुसलिम नेताओं का कहना था कि मुसलिम समुदाय में शादी चूंकि एक अनुबंध होती है, इसलिए उस पर दंडात्मक प्रावधान नहीं लगाया जा सकता। फिर यह भी कि जब तलाक देने वाले पुरुष को तीन साल की कैद की सजा हो जाएगी, तो तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों के भरण-पोषण का खर्च कौन उठाएगा! मगर इन तर्कों को संसद के बहुसंख्य सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया।

यह ठीक है कि अलग-अलग धर्मों में विवाह की अलग-अलग रीतियां हैं, विवाह नामक संस्था को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग सामाजिक नियम-कायदे हैं। पर हकीकत यह भी है कि अब विवाह संबंधों में विच्छेद के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मुसलिम समुदाय में चूंकि पति-पत्नी के अलग होने का नियम बहुत आसान है, इसलिए वहां इस मामले में अनेक मनमानियां भी देखी जाती हैं। हालांकि वहां भी तलाक का एक नियम है, पर कुछ लोग उसका इस कदर दुरुपयोग करते देखे गए कि उन्होंने निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझा। विचित्र है कि इस मामले में दखल देने वाले मौलवी वगैरह का रवैया भी पक्षपातपूर्ण ही देखा गया। इसकी वजह से तलाक का मतलब यह होता गया कि कोई भी व्यक्ति बस किसी भी तरह तीन बार तलाक बोल कर अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेता है। इसमें कई ऐसे भी मामले देखे गए जब किसी व्यक्ति ने दूसरी महिला से संबंध होने के बाद अपनी पत्नी को तीन बार तलाक का संदेश भेज कर अपने को उससे अलग कर लिया। ऐसी मनमानी से उन महिलाओं पर क्या गुजरती होगी, जिन्हें उनके शौहर बेसहारा छोड़ गए, अंदाजा लगाया जा सकता है।

इसलिए कड़े कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी कि इस्लाम में तीन तलाक के प्रावधान का बेजा लाभ उठाने वालों पर नकेल कसी जा सके। उन महिलाओं को इंसाफ दिलाया जा सके, जिन्हें भरण-पोषण के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। अब ऐसे मामले दूसरे धर्मों की तरह अदालत में ही निपटाए जा सकेंगे। मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि तलाकशुदा महिला को भरण-पोषण का खर्च कितना मिलना चाहिए। सिर्फ मेहर की रकम से उसका निपटारा नहीं माना जा सकता। ऐसा कानून कई इस्लामिक देशों में भी लागू है, इसलिए भारत में इसे किसी सियासी नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। इस कानून के बनने के बाद माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता खुल गया है।

इंसाफ की राह

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार पीड़ित युवती के साथ जिस तरह के वाकये हो रहे हैं, उससे जाहिर है कि इंसाफ की राह में किस-किस तरह की अड़चनें पैदा की जा सकती हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि एक तरफ बलात्कार के बाद युवती हर स्तर पर न्याय की गुहार लगा रही थी और दूसरी तरफ परिवार सहित उसे बेहद त्रासद हालात का सामना करना पड़ रहा था। आरोपी विधायक की ओर से लगातार मिलने वाली धमकियों के बाद हाल ही में थक कर युवती ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन चार दिन पहले जब कथित हादसे में उसके परिवार की दो महिलाएं मारी गईं और वह खुद बुरी तरह घायल होकर मौत से लड़ रही है, तब जाकर संबंधित पक्षों की सक्रियता दिख रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने इस हादसे की जांच सीबीआइ को सौंप दी है, जिसने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

गौरतलब है कि पीड़िता जिस कार में सवार थी उसे रायबरेली जाते हुए जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी, उसकी नंबर प्लेट काले रंग से पुती होने और पीड़िता की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के न होने का ब्योरा सामने आया है। इससे यह शक स्वाभाविक है कि इसके पीछे साजिश हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि शुरुआती तौर पर पुलिस की ओर से इसे एक सामान्य हादसे के रूप में ही पेश करने की कोशिश की गई। जबकि युवती के खिलाफ होने वाले अत्याचार से लेकर अब तक जो भी हालात सामने रहे हैं, उनसे साफ है कि उसके लिए इंसाफ के रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार पर इस प्रकरण में नर्म रुख अख्तियार करने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही विपक्षी दल आरोपी को संरक्षण देने और उसे बचाने की कोशिश के आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले जब युवती ने अपने बलात्कार का मामला सार्वजनिक किया था और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, तब पुलिस ने न केवल उचित कदम नहीं उठाए, बल्कि उसके पिता को हिरासत में ले लिया था, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस पर यातना देने के आरोप लगे थे।

अफसोसनाक यह है कि निराशा में जब युवती ने मदद की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखा, तो वह भी समय पर सही जगह नहीं पहुंच सका। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पीड़ित कमजोर पृष्ठभूमि से हो तो उसके लिए इंसाफ की राह में किस-किस तरह की अड़चनें सामने आ सकती हैं। स्वाभाविक ही मामले के संज्ञान में आने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव से पूछा कि शीर्ष अदालत के नाम लिखी गई चिट्ठी उनके सामने अब तक क्यों पेश नहीं की गई। इस समूचे मामले में पीड़िता और उसके परिवार को तकलीफदेह त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और इतना तय है कि इंसाफ की राह में इस मामले को एक कसौटी की तरह देखा जाएगा। इसलिए अब सरकार को पहल कर-के पीड़िता के हक में इंसाफ सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितना भी सख्त कदम क्यों न उठाना पड़े।

कल्पमेधा

यदि मनुष्य सीखना चाहे तो प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती है।

-चार्ल्स डिकेंस

चुनौती देती बीमारियां

अभिजीत मोहन

भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त है। ऐसे में कहना गलत नहीं कि भारत दुनिया की सर्वाधिक बीमारियों का बोझ उठाने वाले देशों में शुमार हो चुका है और अगर बीमारियों पर काबू नहीं पाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में भारत की पहचान एक बीमारू देश के रूप में होगी।

यह तथ्य चिंतित करने वाला है कि देश में हृदयाघात से होने वाली मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में चौवन लाख लोग दिल की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दिल के मरीजों की तादाद हर साल बढ़ रही है। हृदयाघात की बीमारी कई अन्य गैर संचारी रोगों को जन्म दे रही है। पुणे स्थित चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन और नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जिनेमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने इस बात का खुलासा किया कि भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त है और प्रतिदिन तकरीबन साढ़े तीन करोड़ लोग डॉक्टरों के पास स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के निदान के लिए पहुंच रहे हैं। यह निष्कर्ष आठ सौ से ज्यादा शहरों में व्यापक अध्ययन के बाद निकाला गया है।

अध्ययन में पता चला है कि देश की इक्कीस फीसद आबादी हृदय रोगों और उच्च रक्तचाप की चपेट में है। फेफड़ों की बीमारियों के अलावा दमा और ब्रांकाइटिस जैसी बीमारियों के मरीजों की तादाद बढ़ने का भी जिक्र इस अध्ययन में किया गया है। विश्व की कुल 7.3 अरब की जनसंख्या के मुकाबले भारत की 1.2 अरब की आबादी में दुनिया भर में होने वाली सालाना मौतों की अठारह फीसद मौतें भारत में होती है। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट से यह भी उद्घाटित हो चुका है कि असंक्रामक बीमारियों (हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर) की वजह से आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2012 से 2030 के बीच इन बीमारियों के इलाज पर तकरीबन 6.2 खरब डॉलर (इकतालीस लाख करोड़ रुपए) खर्च होंगे। यह रिपोर्ट शहरी आबादी के स्वास्थ्य से विकास पर पड़ने वाले असर पर आधारित है।

बढ़ता शहरीकरण, कामकाज तथा जीवनशैली की स्थितियां ही घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि सन 2014 से 2050 के बीच भारत में चालीस करोड़ से ज्यादा आबादी शहरों का हिस्सा बनेगी। इसके चलते भारत के शहरों में अनियोजित विकास की जो तस्वीर उभरेगी, वह सामाजिक व वातावरण के लिहाज से खतरनाक होगी। आंकड़ों पर गौर करें तो देश में सालाना होने वाली कुल मौतों में से छह फीसद लोगों की मौत कैंसर से होती है जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली कुल मौतों का आठ फीसद है। इसी तरह भारत में छह करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। भारत की आधी से अधिक आबादी श्वास संबंधी रोगों और फेफड़ों से जुड़ी शिकायतों से ग्रस्त हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं कि भारत दुनिया की सर्वाधिक बीमारियों का बोझ उठाने वाले देशों में शुमार हो चुका है और अगर बीमारियों पर नियंत्रण नहीं लगा तो वह दिन दूर नहीं जब विश्व में भारत की पहचान एक बीमारू देश के रूप में होगी।

जनवरी 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूटीओ) ने खुलासा किया था कि विश्व में गैर संक्रामक रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया भर में हर वर्ष डेढ़ करोड़ लोग कैंसर, मधुमेह और हृदयाघात जैसे गैर संक्रामक रोगों की वजह से मर जाते हैं। अगर समय से इलाज उपलब्ध हो तो इनमें से अधिकांश लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर संक्रामक रोगों से तीस से सत्तर साल के बीच लोगों के मरने की आशंका 26.2 फीसद से भी अधिक हो गई है। तुलनात्मक रूप से यह आंकड़ा दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों की तुलना में बेहद खराब है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक पी-5 देशों (चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) में केवल रूस की स्थिति (29.2 फीसद के साथ) भारत से अधिक खराब है। साल 2012 में भारत में 52.2 फीसद लोगों की मौत गैर संक्रामक रोगों से हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना है कि गैर संक्रामक बीमारियों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और सांस लेने में परेशानी संबंधी प्रमुख चार बीमारियां हैं।

कुछ साल पहले जब डब्ल्यूटीओ और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लोगों की जीवनशैली में सुधार लाने के लिए व्यापक समझौते पर सहमति बनी थी तो उम्मीद जगी थी कि

गैरसंचारी रोगों का जोखिम कम होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दिशा में अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर गैरसंचारी रोगों पर नियंत्रण की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया तो 2020 के अंत तक मरने वाले लोगों की तादाद छह करोड़ से पार पहुंच सकती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मानना है कि इक्कीसवीं शताब्दी में गैरसंचारी रोगों पर नियंत्रण सबसे बड़ी चुनौती है। तेजी से बदल रही जीवनशैली, खानपान और शारीरिक कसरत की कमी के कारण आज जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। इन भयंकर रोगों से लाखों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। आज गैर संक्रामक रोगों की वजह से विश्व की एक तिहाई आबादी की जिंदगी समय से पहले खत्म हो जा रही है। कैंसर, मधुमेह, हृदय, श्वास रोग और मानसिक रोगों जैसे गैर संक्रामक रोगों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए अभी तक कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं।

विडंबना यह है कि हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और मस्तिष्क आघात से मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में ही है। हालांकि भारत सरकार गैर संक्रामक रोगों से निपटने के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर इन बीमारियों पर जल्द ही नियंत्रण नहीं किया गया तो ये गंभीर स्थिति का रूप धारण कर सकती हैं। सरकार की कोशिश यह है कि तीस वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में गैरसंचारी रोगों को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता पैदा की जाए और व्यापक स्तर पर उनका शारीरिक परीक्षण किया जाए। निस्संदेह यह एक सार्थक पहल है। अगर इस योजना को आकार दिया जाए तो देश की एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी।

भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि देश के पैंतीस से चौंसठ वर्ष आयु वर्ग के लोगों में बयालीस फीसद मौतों की वजह गैर संचारी रोग हैं। ऐसा माना जाता है कि कैंसर के रोगी का जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा, वह उतना ही लाभकारी होगा। पिछले कुछ सालों में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए नई तकनीक और दवाइयां ईजाद हुई हैं। लेकिन ये दवाइयां इतनी ज्यादा महंगी हैं कि हर मरीज की पहुंच से बाहर हैं।

आज गांवों में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। गांव में स्थापित अस्पताल जर्जर हैं। न तो वहां डॉक्टर हैं और न ही दवाइयां। ऐसी स्थिति में भला गैर संक्रामक रोगों से कैसे निपटा जा सकता है! विडंबना यह है कि गांव के लोगों को तब तक गैर संचारी रोगों के बारे में जानकारी नहीं होती जब तक कि वे पूरी तरह चपेट में नहीं आ जाते हैं। जब उन्हें जानकारी मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चूंकि गांवों में इनके इलाज की सुविधा नहीं होती है, लिहाजा उन्हें शहर की ओर रुख करना पड़ता है। आज जरूरत तो इस बात की है कि भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए समन्वित रूप से ठोस कार्यक्रम तैयार करें। गैर संक्रामक रोगों का बढ़ता दायरा न सिर्फ जिंदगी को मौत में बदल रहा है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी चुनौती है।

अनजाने का अंदेशा

चंद्रकुमार

दुनिया मेरे आगे

पिछले दिनों बीता सप्ताह मानव के चांद पर पहुंचने के पचासवें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष और फिर चांद पर पहुंचने की होड़ तब चरम पर थी। अंतरिक्ष में मानव को पहुंचा कर वापस धरती पर सुरक्षित लाने में जहां रूस ने बाजी मारी, वहीं चांद पर मानव को सफलतापूर्वक पहुंचाने और सुरक्षित धरती पर लाने का श्रेय अमेरिका को मिला। दोनों देशों की होड़ या कहें प्रयासों से मानव जाति को नए आयाम मिले। अमेरिका का अपोलो अभियान इस मायने में महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है कि एक परीक्षण उड़ान के दौरान तीन अंतरिक्ष यात्रियों को यान में ही जल कर खाक होते देखने के बावजूद 'नासा' ने यह अभियान जारी रखा और आखिरकार चांद पर अमेरिकी झंडा फहराने में कामयाबी पाई। उस वक्त दुनिया की खुशी का अंदाजा ही लगा सकते हैं, जब परियों की कथाओं को हकीकत बनाते हुए हमने चांद पर कदम रखा।

चांद पर पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने इसे 'मानव का एक छोटा कदम और मानवता के लिए एक बड़ी छलांग' कहा। इस सफलता ने अंतरिक्ष विज्ञान में हमारी दिलचस्पी बढ़ा दी। नील आर्मस्ट्रांग, बज अल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस पूरी दुनिया में जाने-पहचाने नाम बन गए। धरती पर लौटने पर दुनियाभर के देशों में उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए यह अपने पूर्ववर्ती जॉन एफ केनेडी के उस सपने को साकार होते देखना था, जिसकी सार्वजनिक घोषणा केनेडी ने सन 1962 में ही कर दी थी। अंतरिक्ष अभियानों के खतरे भी बड़े होते हैं। लांच पैड से उठते ही यान के जल कर खाक होने का सामना तो 'नासा' अपनी एक परीक्षण उड़ान में कर ही चुका था, लेकिन बीच रास्ते किसी अनदेखी अनहोनी, यान का नियंत्रण खोना या यान से संपर्क टूटना, चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई दुर्घटना या ऐसी ही अनेक परिस्थितियों का सामना करना अभी बाकी था। इसलिए मिशन-कंट्रोल दल पल-पल की खबर ले रहा था, ताकि अपने जांबाजों को सकुशल वापस लाया जा सके। इसे चमत्कार ही माना जाए कि जिस तरह कागज पर पूरी योजना बनाई गई, असल अभियान उसी के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

हाल ही में कुछ गोपनीय दस्तावेजों के सामने आने से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए भाषण लिखने वाले विलियम सैफायर ने एक संदेश अनजाने अंदेशे को ध्यान में रख कर भी लिखा था। अगर किसी कारणवश नील आर्मस्ट्रांग और बज अल्ड्रिन का चंद्रयान चंद्रमा की सतह से वापस उड़ान न भर पाता या अपने अंतरिक्ष यान से न जुड़ पाता तो उस स्थिति में उनका पृथ्वी पर लौटना मुमकिन नहीं होता। चंद्रमा पर फंसे रहने पर उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वे ज्यादा दिन जीवित रह पाते। उन्हें वहां तड़प कर मरना होता। तब देशवासियों, आर्मस्ट्रांग और अल्ड्रिन के परिवारों को राष्ट्रपति निक्सन द्वारा सांत्वना देने के लिए एक भावपूर्ण संदेश तैयार कर अमेरिकियों ने उस दुखद घटना से निपटने की भी तैयारी कर रखी थी। लेकिन उनकी सकुशल वापसी ने वह अंदेशा खत्म कर दिया।

अंतरिक्ष अभियान जैसे बेहद जोखिम भरे कार्यों में त्रुटिरहित और वैकल्पिक योजनाओं के बावजूद अंदेशा बना रहता है। यह बिल्कुल हमारे जीवन जैसा ही है, जहां अगले पल तक का हमें पता नहीं होता। लेकिन क्या कभी हम अपने जीवन में अनजाने अंदेशों को स्वीकार कर इस तरह योजनाएं बना पाते हैं कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें? मानवता की बड़ी छलांग माने जाने वाले इस अभियान से हमें बेहतरीन तैयारी, जबर्दस्त मानसिक ताकत, प्रतिकूलताओं से भिड़ने का जज्बा और अपनी सोच को साकार होते देखने जैसे अनेक सुखद परिणाम मिलते हैं। अगर हम ठान लें और पूरी शिद्दत से तैयारी करें तो असंभव कुछ भी नहीं होता।

हमें जो भय पीछे खींचता है, वह दरअसल उस अनजाने का अंदेशा है, जिसे हम अपनी योजना में शामिल नहीं करते। विकट परिस्थितियों में मानसिक बल द्वारा हमें अपने भय पर विजय पानी होगी, तभी हम असीम सुख प्राप्त कर पाएंगे। अशांत मानसिक अवस्था हमें न केवल कमजोर कर देती है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी उस सोच में खपा देती है, जिसका हासिल कुछ नहीं होता। जीवन में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्रोत को हर हाल में बचाए रखना होगा और उसी के लिए अनजाने अंदेशों को हकीकत मान कर उनसे सामना करने का हौसला हासिल करना होगा। मानसिक संबल किसी भी तरह के संताप को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है। विषमताओं और विकट परिस्थितियों का सामना किए बिना हमें कभी भी अपने जीवन का श्रेष्ठ हासिल नहीं होता। जीवन के असमतल, अनदेखे, अनजाने मैदान को फतह करने का अगर कोई एक सूत्र है तो वह अंदेशों के पार झांक कर उस पर काबू पाने की क्षमता ही होगी जो हमें असीम मात्रा में प्राप्त है। हमें बस अपने आगे आ रहे अवरोधों को पार करना होगा।

आखिर इंसाफ

तीस जुलाई 2019 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा ने अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल गई थी। सचमुच, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है! तुष्टिकरण के चलते जो चिरप्रतीक्षित न्याय पिछली सरकारें नहीं दे पाई थीं, वह वर्तमान सरकार ने मुसलिम महिलाओं को दिला दिया है। विश्व के सबसे बड़े प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में 'तीन तलाक' का प्रावधान सच में एक बदनुमा दाग था जिसे अब हमारी संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से साफ कर दिया है। देर आयद, दुरुस्त आयद। तीन तलाक प्रकरण पर पहले भी खूब विचार-मंथन हुआ था। शाहबानो के मामले से इस प्रकरण को जोड़ कर देखा जाए तो साफ होगा कि वर्तमान सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा-शक्ति के चलते मुसलिम महिलाओं को इस कानून से बड़ी राहत पहुंचाई है।

दरअसल, शाहबानो का मामला अपनी किस्म का इकलौता ऐसा मामला था जहां सत्तापक्ष ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय को संविधान-संशोधन द्वारा बदलवा दिया था। नारी की अस्मिता, आत्म-निर्भरता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का दम भरने वाले सत्तापक्ष ने कैसे मुसलिम वोटों की खातिर देश की सबसे बड़ी अदालत को नीचा दिखाया, यह इस प्रकरण से जुड़ी बातों से स्पष्ट होता है। बात कांग्रेस के शासन-काल की है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। गौरतलब है कि शाहबानो से उसके शौहर ने तीन बार 'तलाक' कह कर पिंड छुड़ा लिया था। शाहबानो ने अपने शौहर को कोर्ट में घसीट लिया कि ऐसे कैसे तलाक दोगे, गुजारा भत्ता दो! मियांजी बोले कि काहे का गुजारा भत्ता? शरीयत में जो लिखा है उस हिसाब से मेहर की रकम लेकर चलती बनो! शाहबानो कोर्ट में चली गईं। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और उसने शाहबानो के हक में फैसला सुनाते हुए उनके शौहर को हुक्म दिया कि अपनी बीवी को गुजारा भत्ता दे। यह सचमुच एक ऐतिहासिक फैसला था।

सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे-सीधे शरीयत के खिलाफ एक मजलूम औरत के हक में फैसला सुनाया था। देखते-ही-देखते देश के इस्लामिक जगत में हड़कंप मच गया। उस समय की सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलिम नेताओं और कठमुल्लाओं के दबाव में आ गए और उन्होंने अपने प्रचंड बहुमत के बल पर संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा कर मुसलिम औरतों का हक मारते हुए शरीयत में न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोक दिया। बेचारी शाहबानो को कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला। आशा की जानी चाहिए कि 'तीन तलाक' बिल के कानून बन जाने से सदियों से पीड़ित मुसलिम समुदाय की महिलाओं को न्याय के साथ-साथ उनका हक भी मिल जाएगा।

● *शिबन कृष्ण रैणा, अलवर*

आतंक के खिलाफ

कश्मीर में आतंकियों का वित्त पोषण करने वाली जड़ों पर वार होने से वहां की अलगाववादी ताकतें फड़फड़ा रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के शिकंजे के कारण आतंकवाद की कमर टूट रही है, यह अच्छी खबर है। देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इतनी ही सूझबूझ और ताकत दिखाई होती तो न कश्मीर घाटी से पंडितों को पलायन करना पड़ता और न वहां आतंकवाद इतना बढ़ पाता। अब बारी धारा 370 व 35 अ को समाप्त करने की है। सरकार को इस बारे में ठोस निर्णय लेकर कश्मीर को आतंक से मुक्त करना चाहिए।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार, मध्यप्रदेश*

जंगल की जगह

हम और हमारी धरती एक खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी डर ने हमें पेड़ लगाने और पानी बचाने की तरफ मोड़ दिया है। बच्चों की ड्राइंग से गायब होते प्राकृतिक दृश्यों को फिर से बनाने की कोशिश में पौधारोपणउजड़ते जंगलों की जगह लेंगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक खुशखबरी बन सकती है। मगर यहीं से हमारी कोशिशों पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सचमुच नए जंगल बसाने के प्रयासों में हम ईमानदार हैं? तुलसी या सजावटी पाम जैसे पौधे लगा कर हम कितने घने जंगल बनाने में कामयाब होंगे? तरक्की की देन कंक्रीट के जंगलों ने फलदार और छायादार पौधों के लिए जगह नहीं छोड़ी है। हमें वह जगह तलाशनी होगी जहां हरे वृक्षों के घने जंगल की वसीयत आने वाली पीढ़ी के नाम कर सकें।

● *एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड*

डर के आगे

अपने रेडियो संबोधन 'मन की बात' में प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो लोग कश्मीर के विकास की राह में रोड़ा बन रहे हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके नापाक इरादे कामयाब होने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री की ओर से ऐसे किसी बयान की आवश्यकता इसलिए थी कि एक तो इन दिनों कश्मीर चर्चा के केंद्र में है और दूसरे, केंद्र सरकार से यह अपेक्षा बढ़ गई है कि वह घाटी को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव उपाय करे। गृहमंत्री बनने के बाद से अमित शाह कश्मीर पर खास ध्यान दे रहे हैं। सबको भरोसा है कि मोदी-शाह की जोड़ी कश्मीर की समस्याओं को सुलझा कर रहेगी। बीते दिनों कश्मीर में सुरक्षा बलों की सौ अतिरिक्त कंपनियां बुलाने के साथ ही वहां राजनीति गरमा गई। बयान सामने आने लगे कि धारा 35 ए को हाथ भी लगाया तो सारा कश्मीर सुलग उठेगा जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये कंपनियां सिर्फ कश्मीर की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई हैं।

कैसी विडंबना है कि एक तरफ केंद्र सरकार आतंकवादियों और अलगाववादियों पर नकेल कस रही है तो दूसरी तरफ घाटी के नेता आतंकवादियों और अलगाववादियों की वफादारी कर रहे हैं। इस सबके बीच मासूम कश्मीरियों की आवाज दब रही है। क्या उन्हें निडर होकर जीने का हक नहीं? आएदिन के आतंकी हमले उन्हें डर की जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं। कर्फ्यू या पत्थरबाजी से कश्मीरी बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ता रहा है। सरकार अब आतंकी वित्त पोषण पर रोक लगाने के सख्त प्रयास लगातार कर रही है जिस कारण पत्थरबाजी कम हुई है। सरकार के कड़े रुख से लगता है कि कश्मीर के हालात जल्द बदलेंगे।

● *राघव जैन, जालंधर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com